सामाजिक वानिकी : जीविका, पूर्वी चम्पारण का एक सार्थक प्रयास

सामाजिक वानिकी का महत्त्व

वन क्षेत्रों के मामले में बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्त्तमान में बिहार का वन क्षेत्र सिर्फ 10 प्रतिषत है, जबकि भारत का वन क्षेत्र 23 प्रतिषत है। पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए कम से कम 33 प्रतिषत वन क्षेत्रों की आवष्यकता है। इस नजरिये से भी देखें तो बिहार के वन क्षेत्र की स्थिति काफी दयनीय है। वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए इस दिषा में सबसे बेहतर कार्य सामाजिक वानिकी (Social Forestry) का है। सामाजिक वानिकी द्वारा किये जा रहे प्रयास से वह दिन दूर नहीं जब हम वन क्षेत्रों को बढ़ाने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और पर्यावरण को संतुलित कर पायेंगे।

सामाजिक वानिकी और जीविका

सामाजिक वानिकी समाज, पंचायत, नॉडेल संस्था और वन विभाग का ऐसा समन्वय है, जो रक्षित वनों पर समाज के भार को कम करता है। साथ ही समाज को वनोत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसमें समाज को वृक्षों के साथ एक रिष्ता बनाने की कोषिष की जाती है। आज हमारे समाज में इमारती लकड़ियों को प्राप्त करने के उद्देष्य से वनों की अंधाधुन्ध कटाई की गयी है, जिससे पर्यावरण पर खतरा उत्पन्न हुआ है। सामाजिक वानिकी द्वारा ऐसे पौधों का विकास करना है, जिससे कीमती एवं उपयोगी लकड़ियां

प्राप्त की जाएं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। देष के खाद्य संसाधनों में वृद्वि हो सके इसके लिए भूमि संरक्षण तथा खेतों की उर्वरता को बढ़ाकर भोज्य सामग्री उपलब्ध करना भी इसका उद्देष्य है। चूंकि हरियाली का जीवन से गहरा संबंध है इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर सजावटी एवं छायादार वृक्ष को विकसित करना भी इसके प्रमुख उद्देष्यों में शामिल है। स्पष्ट है कि सामाजिक वानिकी ऐसी योजना है जिससे चौतरफा पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। एक और तो इससे ईंधन, चारा एवं उपयोगी लकड़ियां प्राप्त होंगी दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर भार भी कम हो सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार में सामाजिक विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे जीविका परियोजना द्वारा नॉडेल संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सामाजिक वानिकी के कार्य को विभिन्न जिलों में आगे बढाया जा रहा है।

पहाड़पुर प्रखण्ड में सामाजिक वानिकी

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जीविका प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण में सामाजिक वानिकी का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक वानिकी पर जीविकाकर्मियों एवं कैडरों को शत–प्रतिषत प्रषिक्षित करवाया गया। प्रषिक्षण मनरेगा एवं स्थानीय नॉडेल एजेंसी TRY के पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया गया। सामाजिक वानिकी योजना के तहत पहाड़पुर प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जीविका द्वारा 12 पंचायतों में गठित 622 स्वयं सहायता समूह के 2064 सदस्यों को वनपोषक के रूप में जोड़ा गया है। ये वनपोषक जीविका के 622 समूहों के 8073 समूह सदस्यों का 30 प्रतिषत है। योजना की सफलता को देख कर प्रखंड के अन्य पंचायतों को भी सामाजिक वानिकी

योजना से जोड़ने का प्रयास चल रहा है।

समावेशन

जीविका, मनरेगा एवं TRY (Nodal Agency) के आपसी समन्वय से इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत से 200 वन पोषकों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वनपोषक के रूप में जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से जीविका स्वयं सहायता समूह (वनपोषक) को होने वाले लाभ–

समाजिक–

- ग्रामिणों के न्यूट्रीशनल सिक्योरिटीज (पोषक तत्वों की सुरक्षा) यानि फल उपलब्ध होना।
- ग्लोबल वार्मिग में तापमान को कम करने का सुलभ साधन।
- गांव में लकड़ी एवं पशुचारा की पर्याप्त उपलब्धता।
- स्कूली बच्चों एवं आम आदमी को पर्याप्त मात्रा में छाया की प्राप्ति।
- शुद्ध वातावरण ।
- उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि सारे जीव जन्तु के लिए पेड़ मकान के समान होता हैं और जीव जन्तु के लिए मकान पेड़ के रूप में सृजित होगा तो फसल क्षति करने वाले कीड़े–मकोड़े पेड़ पर ही आश्रय लेंगे और फसल क्षति नहीं करेगें।

आर्थिक–

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जीविका के स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को वनपोषक बनाकर आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी (वनपोषक) सदस्य को 1400 रू0 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, जो अगले 5 वर्षों तक निरंतर रूप से मिलेगा। वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत 5 वर्ष के उपरांत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले सदस्यों (वनपोषक) को प्रति सदस्य 100 पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके सिचाई हेतू चापाकल का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष उपरांत प्रत्येक परिवारों को 50–50 पेड़ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो फलदार एवं लकड़ी वाले पौधे हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक लाभांश का मुल्याकंन–

वनपोषक की संख्या	लाभ (5 वर्षो में)
प्रति वनपोषक	1 कुल श्रमिक1400 X12X5 = 84000 2 50 पेड़ (फलदार एवं व्यवसायिक कार्योपयोगी लकड़ी) 3 फल, चारा एवं जलावन (अवाछिंत पत्ते एवं लकड़ी) 4 पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा

सारांश–

समाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वनपोषक के रूप में मनरेगा के द्वारा इच्छुक लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत जोड़ना एवं उन्हें मनरेगा जाबकार्ड प्रदान करतेहुए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जीविकोपार्जन से जोड़ते हुए वृक्षारोपण हेतू तकनिकी सहायता प्रदान करना एवं 5 वर्षों तक वृक्ष के रखरखाव हेतू प्रतिमाह 1400 रू0 का श्रमिक भूगतान किया जाएगा एवं इससे संबंधित समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 50–50 पेड़े गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लाभुकों को दिया जाना है। साथ ही प्रत्येक 200 पौधों पर एक चापाकल लगाने का भी प्रावधान है। जिसका उपयोग जीविका स्वयं सहायता समूह के लाभुक सदस्य सिचाई एवं पेयजल हेतू करेगें। इस पौधों से प्राप्त फल, चारा एवं अवांछित पत्तों एवं लकड़ियों (इंधन) का भी उपयोग जीविका स्वयं सहायता समूह के लाभुक कर सकेगें।यह योजना जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में एक अहम भूमिका निभाएगी।